



10 June, 2024

मंत्रिपरिषद

संदर्भ: लोक सभा चुनाव 2024 के बाद भारत के नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ले ली है।

- केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसे संघीय मंत्रिपरिषदके रूप में भी जाना जाता है, संघ सरकार की कार्यकारी शाखा का हिस्सा है।
- यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई संसदीय प्रणाली के तहत वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है।
- यह भारत के राष्ट्रपति के लिए मुख्य सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह निर्णय लेने और सरकारी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संवैधानिक प्रावधान:

➤ अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है।

- राष्ट्रपति को सहायतार्थ और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी।
- राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं।
- हालांकि, राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
- मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।

➤ अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी (91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003)।
- दलबदल के आधार पर संसद के किसी भी सदन का सदस्य अयोग्य घोषित होने पर उसे मंत्री नियुक्त किए जाने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा (91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003)।
- मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेंगे।
- मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
- राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- कोई मंत्री जो लगातार छह महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहा है, वह मंत्री नहीं रहेगा।
- मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

➤ अनुच्छेद 77 – भारत सरकार के कार्य संचालन:

- भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से अभिव्यक्त किए जाएंगे।
- राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को राष्ट्रपति द्वारा नियमों में निर्दिष्ट रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
- इस प्रकार प्रमाणित किए गए किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा नहीं बनाया गया है या निष्पादित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य संचालन और मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए अधिक सुविधाजनक नियम बनाएंगे।

➤ अनुच्छेद 88 – सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार:

- प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन, सदनों की किसी संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा, जिसका वह सदस्य के रूप में नामित हो सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य है, उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में वोट दे सकता है जिसका वह सदस्य है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना

➤ कैबिनेट मंत्री

- गृह, रक्षा, वित्त आदि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं।
- कैबिनेट के सदस्य, इसकी बैठकों में भाग लेते हैं और सरकार की नीतियों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

➤ राज्य मंत्री:

- या तो कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध हो सकते हैं या उन्हें मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है।
- संबद्धता के मामले में, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व वाले मंत्रालयों के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है या इन मंत्रालयों से संबंधित कार्य के विशिष्ट मद आवंटित किए जा सकते हैं।
- स्वतंत्र प्रभार के मामले में, कैबिनेट मंत्रियों के समान ही अपने मंत्रालयों/विभागों के संबंध में समान कार्य करते हैं और समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आमंत्रित किए जाने तक कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।

➤ उप मंत्री:

- मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है।
- कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबद्ध होते हैं और उनके कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं।
- कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।

➤ संसदीय सचिव:

- केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं।
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- वरिष्ठ मंत्रियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना।

➤ मंत्रियों की नियुक्ति:

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
- राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रह सकता।

Face to Face Centres





10 June, 2024

शपथ ग्रहण समारोह

संदर्भ: विगत रविवार शाम को शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

➤ उद्देश्य और महत्व:

- **औपचारिक पदभार ग्रहण:** शपथ ग्रहण समारोह किसी आधिकारिक पद की औपचारिक ग्रहण का प्रतीक है, जो पदाधिकारी के कर्तव्यों की शुरुआत का संकेत देता है।
- **निष्ठा और प्रतिबद्धता:** शपथ संविधान के प्रति पदाधिकारी की निष्ठा और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और ईमानदारी के साथ निभाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- **संवैधानिक सर्वोच्चता की पुष्टि:** समारोह सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने में संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देता है।

शपथ के लिए संवैधानिक प्रावधान:

➤ राष्ट्रपति की शपथ: भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में विस्तृत।

- राष्ट्रपति "भारत के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करने (या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने)" और भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करते हुए "संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और सुरक्षित रखने" की शपथ लेता है।

➤ अन्य पदों के लिए शपथ: संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रावधानित है।

- इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए शपथ शामिल है।

➤ गोपनीयता की शपथ: तीसरी अनुसूची में भी शामिल है।

- मंत्री शपथ लेते हैं कि वे "किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी बात नहीं बताएंगे या प्रकट नहीं करेंगे" जिसे वे मंत्री के रूप में जानते हैं या समझते हैं, सिवाय इसके कि उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

➤ शपथ के शब्द विकल्प

- **ईश्वर के नाम पर शपथ लेना:** व्यक्ति अपने देवता के नाम पर शपथ लेना चुन सकते हैं, जो व्यक्तिगत या धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है।
- **सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान:** उन लोगों के लिए एक विकल्प जो किसी देवता का आह्वान नहीं करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष या गैर-धार्मिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।

➤ शपथ के मुख्य घटक

- **संविधान के प्रति निष्ठा:** संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा।
- **कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन:** अपनी क्षमता के अनुसार आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता।
- **गोपनीयता और गोपनीयता:** कर्तव्य के दौरान सामने आई संवेदनशील जानकारी के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का वादा।

➤ ऐतिहासिक और व्यावहारिक उदाहरण

- **व्यवहार में भिन्नताएँ:** हालाँकि संविधान में सटीक शब्दों का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन व्यवहार में छोटे-मोटे विचलन हुए हैं, जो अक्सर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं।
- **महाराष्ट्र 2019:** उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी और उनके माता-पिता का नाम लिया, और एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ के दौरान बाल ठाकरे का नाम लिया। विशेषज्ञों ने इन अतिरिक्त शब्दों की वैधता पर बहस की।
- **कर्नाटक 2023:** सतीश जरकीहोली ने बुद्ध और बसवन्ना के नाम पर शपथ ली, जबकि जमीर अहमद खान ने अल्लाह और अपनी माँ का नाम लिया।

प्रशासकों द्वारा सुधार: राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे प्रशासक शपथ के सही उच्चारण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

● उदाहरण:

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ के दौरान रामदास अठावले को अपना नाम नहीं उच्चारित करने पर दुबारा नाम लेने को कहा था।
- बिहार के राज्यपाल ने शपथ के दौरान शब्दों का गलत उच्चारण करने के लिए तेज प्रताप यादव को सुधारा।

➤ शपथ का महत्व

- **कानूनी और नैतिक दायित्व:** शपथ पदाधिकारियों पर संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का कानूनी और नैतिक दायित्व डालती है।
- **प्रतीकात्मक कार्य:** यह सत्ता के हस्तांतरण और जिम्मेदारी की धारणा का प्रतीक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक शासन को मजबूत करता है।
- **सार्वजनिक आश्वासन:** जनता को यह आश्वासन देता है कि उनके नेता राष्ट्र की सेवा करने और इसके कानूनों और मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

रेट्रो रिवाइवल प्रदर्शनी



हाल ही में, भारतीय प्रवासियों ने संयुक्त अरब अमीरात में पैरामाउंट क्लासिक्स पर एक अनूठी कला प्रदर्शनी आयोजित की।

रेट्रो रिवाइवल प्रदर्शनी के बारे में:

- "रेट्रो रिवाइवल" प्रदर्शनी पेंटब्रश आर्ट कम्युनिटी द्वारा आयोजित की जाती है, जो यूएई में भारतीय प्रवासी कलाकारों का एक समूह है।
- प्रदर्शनी में 8 अलग-अलग देशों के 22 कलाकारों की कृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं।
- इस प्रदर्शनी में कुल 26 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं।
- प्रदर्शनी का विषय हॉलीवुड के स्वर्णिम युग की प्रतिष्ठित पैरामाउंट फिल्मों को श्रद्धांजलि देना है।
- कलाकृतियों में हाइलाइट की गई कुछ फिल्मों में "द टर्मिनेटर", "टाइटेनिक", "द गॉडफादर", "स्लीपी हॉलो", "टॉम्ब रेडर" और "टॉप गन" शामिल हैं।
- प्रदर्शनी का उद्देश्य इन क्लासिक फिल्मों और प्रतिष्ठित हस्तियों की कला को संरक्षित करना है, जो दर्शकों को सिनेमाई उत्कृष्टता के समय में वापस ले जाती हैं।

Face to Face Centres





10 June, 2024

	<ul style="list-style-type: none"> यूएई में उल्लेखनीय कला कार्यक्रमों में वर्ल्ड आर्ट दुबई और शारजाह बिएनले शामिल हैं। यूएई सरकार ने कला को बढ़ावा देने वाली कई पहलों का समर्थन किया है और संस्कृति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को आकर्षित किया है और स्थानीय कला परिदृश्य को सशक्त बनाया है।
<p>कशिशा (KASISH) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव</p> 	<p>हाल ही में, अबू सोहेल खॉडेंकर द्वारा निर्देशित लघु फिल्म मेहरून ने मुंबई में कशिशा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीते हैं।</p> <p>कशिशा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> कशिशा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें LGBTQ+ थीम वाली फिल्में दिखाई जाती हैं, जिनमें LGBTQ+ समुदाय के विविध दृष्टिकोण और कहानियां दिखाई जाती हैं। यह महोत्सव LG BTQ+ सिनेमा के क्षेत्र में उभरते फिल्म निर्माताओं को उनके काम के लिए पहचान और प्रशंसा पाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कशिशा LGBTQ+ सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, विशेष जूरी उल्लेख और अन्य सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करता है। यह समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देता है, LGBTQ+ कहानी कहने के लिए सभी पृष्ठभूमि के फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का स्वागत करता है। यह सिनेमा के माध्यम से LGBTQ+ मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संवाद को बढ़ावा देने और स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
<p>पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान कार्यक्रम</p> 	<p>हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV) कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। आगामी तीसरा और अंतिम RLV लैंडिंग प्रयोग (RLV LEX) इस कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।</p> <p>पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) कार्यक्रम के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> आरएलवी-लेक्स (पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान - लैंडिंग प्रयोग) कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। इसमें पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के प्रोटोटाइप विकसित करने और परीक्षण करने के लिए प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करना शामिल है, जिसमें अलग-अलग परिस्थितियों में स्वायत्त लैंडिंग प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रक्षेपण यान घटकों की पुनर्प्राप्ति और पुनः उपयोग को सक्षम करके अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम करना और दक्षता बढ़ाना है। कार्यक्रम अपने तीसरे और अंतिम आरएलवी लैंडिंग प्रयोग (आरएलवी लेक्स) का संचालन करने के लिए तैयार है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मिशन कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में होने वाला है। पिछले मिशनों में LEX-01 (2 अप्रैल, 2023) और LEX-02 (22 मार्च, 2024) शामिल हैं, दोनों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया, जिससे RLV-LEX कार्यक्रम की प्रगति में योगदान मिला। कार्यक्रम की योजना मानवरहित ऑर्बिटल री-एंट्री व्हीकल (ORV) के परीक्षण की ओर बढ़ने की है, जो पुष्पक के आकार का 1.6 गुना होगा। ORV को संशोधित जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) का उपयोग करके पृथ्वी के चारों ओर 400 किमी की कक्षा में रखा जाएगा। ORV परीक्षण चरण में थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और रिट्रैक्टबल लैंडिंग गियर का मूल्यांकन जैसे प्रयोग शामिल होंगे।
<p>हाइड्रोजन लाइन</p> 	<p>हाइड्रोजन लाइन के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> हाइड्रोजन लाइन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों कणों (प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन) के स्पिन एक ही दिशा में इंगित कर रहे हैं (या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे)। जब स्पिन विपरीत दिशा में होते हैं, तो परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है, जबकि संरेखित स्पिन कम ऊर्जा अवस्था को दर्शाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को विपरीत दिशा में से संरेखित करता है, तो परमाणु 21 सेमी तरंगदैर्घ्य के साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है।





10 June, 2024

- हाइड्रोजन लाइन की खोज 1951 में हुई थी और हाइड्रोजन लाइन की खोज ने रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र को बदल दिया।
- इस खोज ने वैज्ञानिकों को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में ठंडे, तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु गैस के बादलों का अन्वेषण की सुविधा प्रदान की।
- खगोलविद ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित पहले प्रकाश का पता लगाने के लिए 21 सेमी हाइड्रोजन लाइन का उपयोग करते हैं।
- हाइड्रोजन लाइन का उपयोग अंतरिक्ष में सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है जिसे किसी विदेशी सभ्यता द्वारा पता लगाया जा सकता है।

POINTS TO PONDER

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए 2024 की थीम क्या है? – **अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें**
- किस विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में निवेशकों के लिए 'सारथी 2.0' मोबाइल ऐप पेश किया है? – **सेबी**
- एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने यूपीआई भुगतान लागू करने के लिए किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ साझेदारी की है? – **पेरू**
- कौन सा रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? – **ओलेग कोनोनेनको**
- भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ बायोफार्मास्युटिकल एलायंस की स्थापना की है? – **अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया**

Face to Face Centres

